

## कार्यालय ज्ञाप

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में सीधी भर्ती से 2005 में मौलिक रूप से तैनात चपरासी/अर्दली को चपरासी/अर्दली के पद हेतु निर्धारित परीक्षा अवधि दो वर्ष सफलपूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निम्नलिखित कार्मिकों को उनको मौलिक नियुक्ति के आधार पर स्तम्भ 06 में उल्लिखित तिथियों से चपरासी/अर्दली के पद पर स्थायी किया जाता है -

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में पदनाम	तैनाती जनपद/स्थान	विभाग में चपरासी/अर्दली के पद पर योगदान की तिथि	परीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजु	चपरासी/अर्दली	झॉसी	30.04.2005	29.04.2007
2	श्री प्रेमचंद्र साहू	चपरासी/अर्दली	जालौन	05.05.2005	04.05.2007

उपर्युक्त कार्मिकों का चपरासी/अर्दली की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(एल०के० मिश्र)  
उप निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण,  
झॉसी मण्डल, झॉसी।

कार्यालय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झॉसी मण्डल, झॉसी।

पत्रांक 530 /उ०नि०/पि०व०क०/

2017-18

दिनांक - 15-11-2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखनऊ।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र० लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, झॉसी।
4. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जालौन।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय प्रति।

(एल०के० मिश्र)  
उप निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण,  
झॉसी मण्डल, झॉसी।